

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 830]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2025 — कार्तिक 2, शक 1947

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 07-1/2019/जनगणना/गृह-दो.— जनगणना नियम, 1990 के नियम 6घ के अनुसरण में, राज्य सरकार एतद्वारा, सामान्य जानकारी के लिए, गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना क्र. का.आ. 4698 (अ) दिनांक 16.10.2025 को निम्नानुसार पुनः प्रकाशित करती है :-

“गृह मंत्रालय
(महारजिस्ट्रार का कार्यालय, भारत)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4698 (अ).— केन्द्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 17 क सहपठित जनगणना नियम, 1990 के नियम 6घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत की जनगणना, 2027 के पहले चरण के पूर्व-परीक्षण के संचालन के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार करती है। भारत की जनगणना, 2027 के पहले चरण के पूर्व परीक्षण अर्थात् चयनित नमूना क्षेत्रों में मकानसूचीकरण और मकानों की गणना सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 10 नवंबर, 2025 से 30 नवंबर, 2025 संचालित किया जाएगा। 1 नवंबर, 2025 में तारीख 7 नवंबर, 2025 तक स्व-गणना के लिए भी विकल्प होगा।

[फा. सं. 9/8/2025—मीडी (सीइएन)]
मृत्युंजय कुमार नारायण,
भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 24th October 2025

NOTIFICATION

No. F-07-1/2019/Census/Home-2 .— In pursuance of Rule 6D of the Census Rule, 1990, the State Government hererby, for general information, re-publishes the Notification No. S.O. 4698(E)dated 16.10.2025 of the Ministry of Home Affairs, Government of India as under:-

"MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2025

S.O. 4698(E). In exercise of the powers conferred by section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rule 6D of the Census Rules, 1990, the Central Government hereby extends the provisions of the said Act for conduct of pre-test of first phase of Census of India, 2027. The pre-test of first phase of Census of India, 2027 that is Houselisting and Housing Census in selected sample areas shall be conducted from 10th November, 2025 to 30th November, 2025 in all States and Union territories. There shall also be an option for self-enumeration from 1st November, 2025 to 7th November, 2025.

[[F. No. 9/8/2025-CD(Cen)]
MRITUNJAY KUMAR NARAYAN,
Registrar General and Census Commissioner, India

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHRIKANT VERMA, Deputy Secretary.